



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112022-240029  
CG-DL-E-04112022-240029

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4905]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2022/कार्तिक 12, 1944

No. 4905]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2022/KARTIKA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

का.आ. 5124(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में NH71 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 57.046 (रेनिगुन्टा - नायडूपेटा सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/ 6-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉयंट कलैक्टर, तिरुपति को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा; और.

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

आंध्रप्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0.000 कि.मी. से 57.046 कि.मी. (रेनिगुन्टा - नायडूपेटा सेक्शन) के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: तिरुपति			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: रेनिगुन्टा					
गांव का नाम: एलमंडयाम					
1	258/1A1B	निजी	वेट	445.1700000(वर्ग मीटर)	0.0445170
2	258/5A1B	निजी	वेट	60.7050000(वर्ग मीटर)	0.0060705
3	258/6A1	निजी	वेट	1,052.2200000(वर्ग मीटर)	0.1052220
4	263/3A1B	निजी	ड्राई	141.6450000(वर्ग मीटर)	0.0141645
5	264/6B	निजी	वेट	60.7050000(वर्ग मीटर)	0.0060705
गांव का नाम: कोथापलेम					
1	77/1D2C	निजी	ड्राई	1,011.5400000(वर्ग मीटर)	0.1011540
2	77/1DB2	निजी	ड्राई	809.4000000(वर्ग मीटर)	0.0809400
3	77/1E2B	निजी	ड्राई	242.8200000(वर्ग मीटर)	0.0242820
गांव का नाम: र. मल्लावरम					
1	194/5B/2	निजी	वेट	849.8700000(वर्ग मीटर)	0.0849870
तालुक का नाम: थोट्टुमबेदु					
गांव का नाम: पेद्दाकननली					
1	378/13B1	निजी(पट्टा)	वेट	121.4100000(वर्ग मीटर)	0.0121410
2	380/3B2	निजी(पट्टा)	वेट	445.1700000(वर्ग मीटर)	0.0445170
3	380/4B	निजी(पट्टा)	वेट	80.9400000(वर्ग मीटर)	0.0080940
4	380/5B	निजी(पट्टा)	वेट	121.4100000(वर्ग मीटर)	0.0121410
5	380/5D	निजी	वेट	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470

6	380/6A3	निजी(पट्टा)	वेट	40.4700000(वर्ग मीटर)	0.0040470
कुल				5,523.9450	0.5524

[फा. सं. NHAI/PIU-TPT/3(a)/P-IV/2022/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2022

**S.O. 5124(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/six laning etc.), maintenance, management and operation of NH71 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 57.046 (Renigunta - Naidupeta Section) in the district of Tirupati in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector, Tirupati in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in National Highway No.71 in the stretch of land from Km. 00+000 to Km. 57+046 (Renigunta - Naidupeta Section) in the District of Tirupati in the State of Andhra Pradesh

State: ANDHRA PRADESH			District: Tirupati		
Sr. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
<b>Taluk: Renigunta</b>					
<b>Village: Elamandyam</b>					
1	258/1A1B	Private	Wet	445.1700000(Square Meter )	0.0445170
2	258/5A1B	Private	Wet	60.7050000(Square Meter )	0.0060705
3	258/6A1	Private	Wet	1,052.2200000(Square Meter )	0.1052220
4	263/3A1B	Private	Dry	141.6450000(Square Meter )	0.0141645
5	264/6B	Private	Wet	60.7050000(Square Meter )	0.0060705

<b>Village: Kothapalem</b>					
1	77/1D2C	Private	Dry	1,011.5400000(Square Meter )	0.1011540
2	77/1DB2	Private	Dry	809.4000000(Square Meter )	0.0809400
3	77/1E2B	Private	Dry	242.8200000(Square Meter )	0.0242820
<b>Village: R.Mallavaram</b>					
1	194/5B/2	Private	Wet	849.8700000(Square Meter )	0.0849870
<b>Taluk: Thottembedu</b>					
<b>Village: Pedda Kannali</b>					
1	378/13B1	Private(Patta)	wet	121.4100000(Square Meter )	0.0121410
2	380/3B2	Private(Patta)	Wet	445.1700000(Square Meter )	0.0445170
3	380/4B	Private(Patta)	Wet	80.9400000(Square Meter )	0.0080940
4	380/5B	Private(Patta)	Wet	121.4100000(Square Meter )	0.0121410
5	380/5D	Private	Wet	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
6	380/6A3	Private(Patta)	Wet	40.4700000(Square Meter )	0.0040470
<b>Total</b>				<b>5,523.9450</b>	<b>0.5524</b>

[F. No. NHA/PIU-TPT/3(a)/P-IV/2022/3A]

RAJESH GUPTA, Director